तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल [illegible]	हुक्म नं. [illegible]
12-7-23	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित वास्ते बहस समय उभयपक्ष चाहा गया वास्ते बहस पत्रावली 25-7-23 को पेश हो। Sd/-	
25-7-23	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित प्रार्थना-पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया पत्रावली व रिपोर्ट TPR का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली कीमत भुगतान होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Sd/ उपखण्ड अधिकारी [illegible] ([illegible])	

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी राज0

56/प्रा0पत्र/2021
दायरा दिनांक 10.08.2021

पीठासीन अधिकारी
श्री राम कुमार वर्मा (RAS)

बउनवान

कन्हैयालाल आ0 गोपीलाल जाति कलाल निवासी बाबई तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।

—प्रार्थी

1. कमलेश पत्नी मुरारी लाल जाति कलाल निवासी बाबई तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
2. हंसादेवी पत्नी शिवलाल जाति मीणा निवासी बाबई तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
3. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार सा0 इन्द्रगढ जिला बून्दी राज

—अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट
अधिवक्ताः— 1. श्री सुरेश वर्मा एडवोकेट (प्रार्थी)
2. बालकिशन रायका एडवोकेट(अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक :— 25.07.2023

प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत चाहने रास्ता पेश कर कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा सं. 449 रकबा 0.75 हैक्ट0, खसरा सं0 450 रकबा 0.67 हैक्ट0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.42 हैक्ट0 वाके ग्राम बाबई (नया) तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है। प्रार्थी आम रास्ते से खसरा सं0 452 राजकीय सिवायचक एवं खसरा सं0 451 खातेदारी कृषि भूमि जो अप्रार्थी सं0 2 के खाते की है। उक्त दोनों खसरा संख्याओं की उत्तरी मेड से होकर अपने खेत खसरा सं0 449, 450 पर कृषि उपकरण फसल इत्यादि लाता—ले जाता रहा है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी को मौके पर उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 के मन में प्रार्थी के प्रति बदयान्ति आ जाने से रास्ते को बन्द कर पत्थर के चीरे गाढ़ लोहे की जाली लगा दी गई है। जिसके कारण प्रार्थी के खेत पर आने—जाने का रास्ता बन्द हो जाने से प्रार्थी की कृषि भूमि रास्ते के अभाव में पड़त रहने की पूर्ण सम्भावना है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण से रास्ता बंद नहीं करने का निवेदन करने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण पूर्व रास्ता उत्तरी मेड के सहारे—सहारे नहीं निकलने दे रहे हैं व लड़ाई—झगड़ा करने को आमादा हैं। यदि प्रार्थी को उसकी कृषि भूमि पर कृषि उपकरण लाने—ले जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं करवाया गया तो प्रार्थी को भारी आर्थिक हानि होगी और अंत में निवेदन

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

किया कि प्रार्थी को खसरा सं0 452 व 451 की उत्तरी मेड के सहारे–सहारे रास्ता उपलब्ध करवाया जावे। जिससे प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर काश्त कर सके।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि खसरा सं0 452 रकबा 0.45 हैक्ट0 राजकीय सिवायचक पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। खसरा सं0 451 अप्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी की कृषि भूमि है। मौके पर उत्तरी मेड पर कोई रास्ता वर्तमान में मौजूद नहीं है। प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर बावई गांव से बाबई माल में जाने वाले गढ़ार खसरा सं0 457, 458, 459, 463/1967 के पूर्वी दिशा की तरफ मेड के सहारे–सहारे आते–जाते रहे हैं। प्रार्थी खसरा सं0 451, 452 की उत्तरी मेड की तरफ जबरदस्ती ताकत के बल पर रास्ता बनाना चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज होने योग्य है।

प्रार्थी/अप्रार्थी के प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र के संबंध में तहसीलदार इन्द्रगढ़ से मौके एवं रिकॉर्ड की रिपोर्ट ली गई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार इन्द्रगढ़ के खसरा सं0 450 प्रार्थी अपने खातेदारी कृषि भूमि खसरा सं0 450 व 449 पर आने–जाने हेतु खसरा सं0 450 व 451 मेड से ही आता–जाता रहा है। अप्रार्थीगण भी इसी मेड से अपनी भूमि पर आते–जाते रहे हैं। प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि पर आने–जाने हेतु सबसे लघुत्तम रास्ता खसरा सं0 450 व 451 मेड से ही नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार दिया जा सकता है।

हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किये जाने पर प्रतीत होता है कि प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 14.06.2013 के प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधि0 251 (क) राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र दिनांक 30.09. 2022 के अनुसरण में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा सं0 449, 450 पर आने–जाने हेतु मुख्य रास्ते से खसरा सं0 451, 452 की उत्तरी मेड के सहारे–सहारे 3 मीटर चौडाई में खसरा सं0 450 की सीमा (मेड) तक रास्ता प्रदत्त किया जाता है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ की रिपोर्ट के मुताबिक खसरा सं0 452 में 396 वर्गमीटर 0. 0396 हैक्ट0, खसरा सं0 451 में 504 वर्गमीटर 0.0504 कृषि भूमि रास्ते के अन्तर्गत आती है। रास्ते में प्रभावित रकबे की मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार के डीएलसी दर से खसरा सं0 452 सिवायचक भूमि की प्रतिकर राशि 67191 रूपये होती है तथा खातेदारी कृषि भूमि खसरा सं0 451 की प्रभावित रकबा 504 वर्गमीटर की प्रतिकर राशि 85516 रूपये होती है। उक्त राशि प्रार्थी द्वारा जमा कराने पर उक्तानुसार रास्ता प्रदत्त किया जाता है। खसरा सं0 452 की राशि 67191 रूपये जरिये चालान राजकोष में जमा कराने एवं खातेदारी कृषि भूमि

Kam/
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

खेसरा सं0 451 की राशि 85516 रूपये खातेदार कृषक जरिये तहसीलदार बैंक डीडी अदा करने पर प्रार्थी का रास्ता बहाल किया जाता है।

तहसीलदार इन्द्रगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिकर जमा होने पर प्रार्थी को मौके पर रास्ता उपलब्ध कराकर रास्ते का राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में दर्ज कर तरमीम किया जावे उक्त रास्ते की भूमि का उपयोग–उपभोग सार्वजनिक होगा।

तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ता नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शूमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner